

वैश्विक महामारी कोविड-19 का मुकाबला करने एवं कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए के लिए राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय, योजनाओ, कार्यक्रमो एवं उपलब्धियों की बिन्दुवार सूचना निम्नानुसार है-

1. विभागों द्वारा संचालित की जा रही योजनाएं/गतिविधियां-

- चिकित्सालयों/औषधालयों एवं शिविरों द्वारा काढा/औषध वितरण
- कोरोना वारियर्स एवं विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को क्वाथ/औषध वितरण
- क्वारन्टाईन सेन्टर पर क्वाथ/औषध द्वारा लाभान्वित
- विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को कपूर्धारावटी का वितरण
- आयुर्वेद चिकित्सकों एवं नर्स/कम्पाउण्डर्स एवं आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों को कोरोना COVID-19 से सम्बन्धित ऑनलाईन प्रशिक्षण।

2. विभागों/जिलों द्वारा कोरोना महामारी के दौरान लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय-

- राज्य सरकार के आदेश दिनांक 07.04.20 के द्वारा आयुर्वेद विभागान्तर्गत कार्यरत चिकित्साधिकारियों/नर्स-कम्पाउण्डरों को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान के अधीन सेवायें देने हेतु निर्देशित किया गया।
- राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.05.20 के द्वारा आयुष मिशन अन्तर्गत चिकित्सालय/औषधालय को क्रमशः 25000/- एवं 10000/- कंटेन्जेसी राशि आवंटित कर अधिकतम 10 प्रतिशत का कोविड-19 से संबन्धित कार्यो हेतु अनटाईड फण्ड के रूप में उपयोग लेने के निर्देश दिये।
- राज्य सरकार के आदेश दिनांक 06.05.20 के द्वारा क्वारंटाईन्स सेन्टर पर आयुर्वेद चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देश दिये।

3. विभागों/जिलों की उपलब्धियां-

- चिकित्सालयों/औषधालयों एवं शिविरों द्वारा काढा/औषध वितरण से लाभान्वित- 2058531
- विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को क्वाथ/औषध वितरण से लाभान्वित- 508768
- क्वारन्टाईन 'सेन्टर पर क्वाथ/औषध द्वारा लाभान्वित- 22754
- विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को कपूर्धारावटी का वितरण- 138336
- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के 5747 आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी चिकित्सकों एवं नर्स/कम्पाउण्डर्स एवं आयुर्वेद महाविद्यालय के 1409 छात्रों को कोरोना COVID-19 से सम्बन्धित ऑनलाईन प्रशिक्षण दिलवाया गया, ताकि यथा आवश्यक प्रशिक्षित मानव संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सके।

4. विभागों द्वारा जारी किये गये दस्तावेज-

- राज्य सरकार के आदेश दिनांक 07.04.20 के द्वारा आयुर्वेद विभागान्तर्गत कार्यरत चिकित्साधिकारियों/नर्स-कम्पाउण्डरों को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान के अधीन सेवायें देने हेतु निर्देशित किया गया। (प्रति संलग्न)
- राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.05.20 के द्वारा आयुष मिशन अन्तर्गत चिकित्सालय/औषधालय को क्रमशः 25000/- एवं 10000/- कंटेन्जेसी राशि आवंटित कर अधिकतम 10 प्रतिशत का कोविड-19 से संबन्धित कार्यो हेतु अनटाईड फण्ड के रूप में उपयोग लेने के निर्देश दिये। (प्रति संलग्न)
- राज्य सरकार के आदेश दिनांक 06.05.20 के द्वारा क्वारंटाईन्स सेन्टर पर आयुर्वेद चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देश दिये। (प्रति संलग्न)